



2026:AHC:65727

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या- 4018 वर्ष 2026

अखिलेश कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

हरीश चंद्र मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आलोक कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता:

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार

1. वादी-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आलोक कुमार को सुना।
2. वादी-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि केस संख्या-136 वर्ष 2005, हरीश चंद्र मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल बनाम प्रमिला राव और अन्य में पारित दिनांक 14.11.2014 के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता द्वारा अपील संख्या-82 वर्ष 2024 में जिला न्यायाधीश, बिजनौर की अदालत के समक्ष अपील की गई। धारा 151 सी.पी.सी. सपठित आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन को दायर की दी गई, जिसमें 22.03.2024 को आवेदन संख्या-जीए-255 था। आपत्ति उठाई गई थी कि लिखित आपत्ति दर्ज करते समय उक्त आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। उक्त आवेदन को 19.09.2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, बिजनौर की अदालत द्वारा सिविल अपील संख्या-82 वर्ष 2015 में अखिलेश चंद्र बनाम हरीश चंद्र में अनुमति दी गई। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, कृष्ण प्रताप सिंह नाम के कृष्ण प्रताप सिंह ने 06.10.1960 के एक उपहार विलेख के खिलाफ एक सिविल मुकदमा भी दायर किया, जो ओ.एस.1130 वर्ष 2024, कृष्ण प्रताप सिंह बनाम हरीश चंद्र स्मारक इंटर कॉलेज था। 03.12.2025 को सी.पी.सी. की धारा 24 के तहत एक स्थानांतरण आवेदन भी पसंद किया गया, जिसके खिलाफ एक आपत्ति भी दर्ज की गई, हालांकि, 31.01.2024 को, अतिरिक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिला न्यायाधीश, बिजनौर की अदालत द्वारा सिविल अपील संख्या-82 वर्ष 2024 पर एक आदेश पारित किया गया, जिसमें बचाव पक्ष की हड़ताल और वसीयत विलेख दिनांक 30.11.2024 के संबंध में साक्ष्य जोड़ने के संबंध में जिरह करने का अधिकार था। फरवरी 2025 के महीने में एक रिकॉल आवेदन को दायर की दी गई थी, जिसे 25.02.2026 को सिविल अपील संख्या-82 वर्ष 2014 अखिलेश कुमार और अन्य बनाम हरीश चंद्र मेमोरियल और अन्य में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, बिजनौर की अदालत द्वारा कार्यवाही में खारिज कर दिया गया था।

3. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, प्रस्तुत याचिका को दायर की दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाले उचित आधार थे क्योंकि रिश्तेदारों में से एक की मृत्यु के कारण सबूत नहीं दिए जा सकते थे, हालांकि, आवेदन में वैध कारण थे, इस प्रकार 31.01.2024 के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए था।

5. मैंने बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेखों को ध्यान से देखा है।

6. जाहिर है, सिविल अपील संख्या-82 वर्ष 2014 में, साक्ष्य को बंद करने का आदेश 31.01.2024 को पारित किया गया। रिकॉल आवेदन को दायर की दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया है। उक्त आवेदन को खारिज करते समय निचली अपीलीय अदालत के विचार यह थे कि 18.07.2018 को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया था। वास्तव में, विभिन्न तिथियां तय की गईं और कई अवसर दिए गए और 02.08.2023 को, साक्ष्य पेश करने का अवसर बंद कर दिया गया और 29.06.2023 को, 1000/- रुपये की लागत जमा करने पर वादियों के हित में एक और अवसर दिया गया। इसके बाद 09.10.2023 को 500/- रुपये के भुगतान पर स्थगन दिया गया और फिर 25.10.2023 को 700/- रुपये जमा करने पर स्थगन दिया गया और 10.11.2003 को 30.11.2023 को 1000/- रुपये जमा करने का अवसर दिया गया और अंतिम अवसर 15.12.2023 को और फिर 03.01.2024 को 500/- रुपये जमा करने पर 12.01.2024 को फिर से 500/- रुपये जमा करने पर 19.01.2024 को फिर से अवसर दिया गया। इसके बाद 23.01.2024 और 31.01.2024 को फिर से अवसर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. दिलचस्प बात यह है कि पूरी याचिका में, इस बात का कोई दोहराव नहीं है कि आदेश में उल्लिखित तारीख और इस प्रकार प्रदान किया गया अवसर गलत है। आक्षेपित आदेश इस प्रकार है: -

"25-02-2026

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र ग - 311 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपील में अपीलार्थीगण द्वारा चन्द्रपाल सिंह की वसीयत दिनांक 30.11.2000 को साबित कराने हेतु लिस्ट गवाहान में सिवेन्द्र प्रताप सिंह का साक्ष्य शपथपत्र उक्त वसीयत को साबित करने हेतु दाखिल किया था परन्तु गवाह केनिकट संबंधी की मृत्यु होने के कारण गवाह को प्रतिपरीक्षा में प्रस्तुत किए जाने हेतु समय चाहा गया, परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2024 को उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए प्रतिपरीक्षा व अपीलार्थीगण की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। अतः आदेश दिनांक 31-01-2024 को रिकाल कर अपीलार्थीगण को साक्षी सिवेन्द्र प्रताप सिंह को प्रतिपरीक्षा हेतु उपस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर उत्तरदाता सं० 1 ता 3 की ओर से आपत्ति ग-314/1 ता 3 इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र मात्र उक्त अपील की सुनवाई को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस आदेश को अपास्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है वह आदेश लगभग 02 वर्ष पुराना है परन्तु 02 वर्षों से अपीलार्थीगण ने उक्त आदेश को रिकाल कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। पूर्व में अपीलार्थीगण को प्रतिपरीक्षा हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गए तथा कई बार हर्जा अधिरोपित होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी व ना ही उत्तरदातागण को हर्जा अदा किया गया तथा दिनांक 02.08.2023 को अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। न्यायहित में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26-09-2023 से एक हजार रुपये हर्जे पर उपरोक्त आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थीगण को



साक्ष्य का अवसर दिया गया परन्तु उसके बावजूद भी कई तिथियाँ नियत हुई व प्रत्येक तिथि को हर्जा अधिरोपित होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा जिरह नहीं की गयी जिस कारणवश न्यायालय द्वारा दिनांक 31-01-2024 को साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 08.09.2025 से 6 माह में निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है अपीलार्थीगण द्वारा बहस के स्तर पर जबकि बहस हेतु भी कई तिथियाँ निकल चुकी ह। [eos] यह प्रार्थनापत्र मात्र अपील की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। [eos] अपीलार्थीगण द्वारा इस अपील को किसी न किसी माध्यम से विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत अपीलार्थीगण द्वारा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र योजित किया गया जो कि अपीलार्थीगण के उपस्थित न होने के कारण निरस्त किया जा चुका है अपीलार्थीगण की मंशा मात्र उक्त अपील को विलम्बित करने की है उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

अपीलार्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की निम्न विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गयी हैं।

मैसर्स एपसिलन पब्लिसिंग हाउस प्राइवेट लि० बनाम प्रदीप कुमार जैन 2017 (122) ए०एल०आर० 722 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गीता पाण्डेय बनाम राघवेन्द्र दत्त राम पाण्डेय आदि 2023 (41) एल०सी०डी० 2000 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) व मौ० सैफ अली आदि बनाम एडिशनल कमिशनर (ज्यूडिशियल) अयोध्या डिवीजन आदि 2022 (40) एल०सी०डी० 442 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) प्रस्तुत की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थीगण को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18-07-2018 से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था तथा उसके बाद कई अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद व हर्जा अधिरोपित किए



जानेके बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत ना करनेके कारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02-08-2023 से अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया जिसे आदेश दिनांक 26-09-2023 से न्यायहित में 1,000/- रुपयेहर्जेपर अपास्त करते, अपीलार्थीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया परन्तु उसके बाद दिनांक 09-10-2023 को स्थगन 500/- रुपयेहर्जेपर व अंतिम अवसर का आदेश होने, दिनांक 25-10-2023 को स्थगन 700/- रुपयेहर्जेपर व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 10-11-2023 को गन 1,11-2023 को स्थगन 1,011-2023 000/- रुपयेहर्जेपर व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 30-11-2023 को पुनः अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 15-12-2023 को अवसर दिए जाने, दिनांक 03-01-2024 को स्थगन 500/- रुपयेहर्ज व अंतिम अवसर दिए जाने, दिनांक 12-01-2024 को पुनः अवसर दिए जाने, दिनांक 19-01-2024 को अवसर दिए जाने, दिनांक 23-01-2024 को अंतिम अवसर दिए जाने तथा दिनांक 31-01-2024 को पुनः अपीलार्थीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करनेव पूर्व में स्थगन प्रार्थनापत्रों पर अधिरोपित हर्जा अदा न किए जाने के कारण अपीलार्थीगण का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर व अनेक बार अंतिम अवसर प्रदान किए गए परन्तु उसके बावजूद अपीलार्थीगण द्वारा न तो अधिरोपित हर्जा उत्तरदातागण को दिया गया व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिस कारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर प्रश्नगत आदेश दिनांक 31-01-2024 से समाप्त किया गया है जो कि सही है। उपरोक्त परिस्थितियों में आदेश दिनांक 31-01-2024 को रिकाल किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण का प्रार्थनापत्र ग-311 निरस्त किया जाता है। पुत्रावली वास्तेबहस दिनांक 27-02-2026 को पेश हो"

8. चूंकि सभी स्तरों पर टालमटोल की रणनीति अपनाई गई है और याचिकाकर्ता को दिए गए अवसरों की संख्या पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए मामले की उपयुक्तता में, यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ध्यान में रखते हुए कि यह स्पष्ट नहीं है कि न्याय की हानि / क्षति हुई है, यह न्यायालय इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

9. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

मार्च 30, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.